20

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 268/दौ/2005 – विरूद्ध आदेश दिनांक 28–01–2005 – पारित – व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 139/2000–01 निगरानी

1– रमेश कुमार 2– दिनेश कुमार
3– रामेश 4– राजनारायण 5– सनतकुमार
6– जितेन्द्र कुमार अवयस्क संरक्षक पिता निभर्यसिंह
7– सुनीलकुमार सभी पुत्रगण निर्भय सिंह
निवासी ग्राम बहराय का पुरा
तहसील व जिला भिण्ड ---आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती पूनादेवी पत्नि श्यामलाल जाटव
ग्राम बहराय तहसील व जिला भिण्ड
2– श्रीमती रामवेटी पत्नि मोहनलाल
मौजा पुलावली मजरा सुन्दरपुरा
तहसील व जिला भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री सन्तोष बाजपेयी)
(अनावेदक क–1 के अभिभाषक श्री रामवेसक शर्मा)
(अनावेदक क–2 के अभिभाषक श्री योगेन्द्र भदौरिया)

आ दे श

(आज दिनांक 6 – 4 – 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 139/2000–01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28–1–2005 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम बहरायपुरा के कृषक मोहनलाल पुत्र परसाद के नाम ग्राम विण्डवा में भूमि सर्वे नंबर

167, 168 कुल किता 2 कुल रकबा 0.418 हैक्टर तथा सर्वे नंबर 54 रकबा0.157 हैक्टर में हिस्सा 1/3 के अलावा ग्राम छूँछरी में भूमि सर्वे नंबर 844, 845, 848, 849 कुल किता 4 कुल रकबा 1.171 हैक्टर में हिस्सा 1/2 भूमि थी। खातेदार मोहनलाल की मृत्यु उपरांत आवेदकगण रमेश कुमार इत्यादि ने ग्राम छूँछरी की भूमि पर विक्रय पत्र के आधार पर तथा ग्राम विण्डवा की भूमि पर बसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण की मांग की। अनावेदक कमांक–1 श्रीमती पूनादेवी ने मृतक मोहनलाल की बहिन एंव वारिस होने से के आधार पर एंव अनावेदक क–2 ने मृतक मोहनलाल की पत्नि होने के आधार पर नामान्तरण की मांग की । नायव तहसीलदार वृत्त फूफ ने प्रकरण कमांक 20/1991–92 अ–6 एंव 35 /1991–92 अ–6 पंजीबद्ध किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 14–9–98 पारित किया तथा विक्रय पत्र एंव बसीयत के आधार पर आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध श्रीमती पूनादेवी पत्नि श्यामलाल जाटव ने अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष अपील कमांक 53/97–98 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनाक 30–8–2000 पारित किया तथा प्रकरण नायव तहसीलदार की ओर से पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी कमांक 14/2000–01 प्रस्तुत होने पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड का आदेश दिनाक 30–8–2000 निरस्त किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर प्र0क0 139/2000–01 निगरानी में पारित आदेश दि. 28–1–2005 से अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया एंव अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड का आदेश दि. 30.8.2000 स्थिर रखा गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों ने 10 दिवस के भीतर लेखी बहस प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया, किन्तु उनके व्दारा निर्धारित समयावधि में लेखी बहस प्रस्तुत न करने के कारण निगरानी मेमो में अंकित आधारों अनुसार तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख में आये तथ्यों अनुसार प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर किया जा रहा है।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि ग्राम बहरायपुरा के कृषक मोहनलाल पुत्र परसाद के नाम ग्राम विण्डवा में भूमि सर्वे नंबर 167, 168 कुल किता 2 कुल रकबा 0.418 हैक्टर तथा सर्वे नंबर 54 रकबा0.157 हैक्टर में हिस्सा 1/3 के अलावा ग्राम छूँछरी में भूमि सर्वे नंबर 844, 845, 848, 849 कुल किता 4 कुल रकबा 1.171 हैक्टर में हिस्सा 1/2 भूमि थी। नायव तहसीलदार वृत्त फूफ ने प्रथक प्रथक आवेदन आने पर दो प्रकरण कमशः प्रकरण कमांक 20/1991-92 अ-6 एंव 35/91-92 अ-6 पंजीबद्ध किये एंव दोनों प्रकरणों में पक्षकार समान होने एंव वादविचारित भूमियां समान होने से दोनों प्रकरणों में संयुक्त सुनवाई की है । अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि खातेदार मोहनलाल की मृत्यु उपरांत आवेदकगण रमेश कुमार इत्यादि ने ग्राम छूँछरी की भूमि पर विकय पत्र के आधार पर तथा ग्राम विण्डवा की भूमि पर बसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण की मांग की गई है अर्थात जब मृतक भूमिस्वामी मोहनलाल अपने जीवनकाल में जिस भूमि को विकय कर चुका एंव स्वत्व तथा स्वामित्व केता आवेदकगण के हित में विकय कर समर्पित कर चुका है ऐसी भूमि पर केतागण का नामान्तरण होगा। विकय पत्र को निरस्त करने एंव विकय पत्र के आधार पर केतागण का नामान्तरण न करने की चुनौती स्वीकार करने एंव निर्णय देने हेतु राजस्व

न्यायालय सक्षम नहीं है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड ने आदेश दिनांक 30-8-2000 पारित करते समय तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा आदेश दिनांक 28-1-2005 पारित करते समय इस पर ध्यान न देने की भूल की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ खातेदार मृतक मोहनलाल की विक्रय से शेष बची भूमि पर उसकी बहिन श्रीमती पूनादेवी पत्नि श्यामलाल जाटव ने स्वयं का हिस्सा होना बताते हुये नामान्तरण किये जाने की मॉग की है। यदि यह मान भी लिया जाय कि स्वर्गीय मोहनलाल की भूमि पैत्रिक संपत्ति रही है तब भी श्रीमती पूनादेवी पत्नि श्यामलाल जाटव के नामान्तरण आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि मोहनलाल के पिता परसाद के मरने के वाद जब मोहनलाल के नामान्तरण के समय श्रीमती पूनादेवी पत्नि श्यामलाल जाटव ने आपत्ति नहीं की एंव हिस्से की मांग नहीं की ? मोहनलाल के मरने के वाद उसे मोहनलाल की भूमि में हिस्सा मांगने अथवा स्वयं का स्वत्व बताने की आपत्ति करना निरर्थक है । श्रीमती पूनादेवी पत्नि श्यामलाल जाटव को भूमिस्वामी मोहनलाल की बहिन होने के नाते उसकी पत्नि के जीवित रहते विधिक वारिस नहीं माना जा सकता, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 28-1-2005 पारित करते समय इन तथ्यों पर गौर नहीं किया है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश उचित नहीं ठहराये जा सकते।

6/ प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है मृतक मोहनलाल ने अपने जीवनकाल में ग्राम विण्डवा के खाते की भूमियों की बसीयत आवेदकगण के हित में कर दी एंव तहसील न्यायालय में अनावेदक यह प्रमाणित नहीं कर सके हैं कि ग्राम

विण्डवा की भूमि मोहनलाल की पैत्रिक भूमि है। स्वअर्जित भूमि का भूमिस्वामी अपने जीवनकाल में बसीयत के माध्यम से अथवा अन्य माध्यम से भूमि की बसीयत करने हेतु स्वतंत्र है। यदि अनावेदक वादग्रस्त भूमियों में पैत्रिक होने के आधार पर अपना स्वत्व चाहती है तब वह सक्षम न्यायालय में जाकर स्वत्व वावत् दावा निराकरण कराने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि नामान्तरण कार्यवाही से मात्र अभिलेख दुरूस्त किया जाता है स्वत्व का निराकरण नहीं किया जाता है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड एंव अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना से इन तथ्यों पर ध्यान न देने में भूल की है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 139/2000-01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-1-2005 तथा अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड व्दारा कमांक 53/97-98 अपील में पारित आदेश दिनाक 30-8-2000 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं परिणामतः अपर कलेक्टर भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 14/2000-01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-7-01 एंव नायव तहसीलदार फूफ व्दारा प्रकरण कमांक 20/1991-92 अ-6 तथा प्र0क0 35 /1991-92 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 14-9-1998 उचित पाये जान से यथावत् रखे जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर